चित्रकूट पुलिस

(1). मिशन शक्ति फेज-6 के अंतर्गत बालिकाओं एवं महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान, संरक्षण एवं स्वावलंबन के प्रति जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा जागरूक करते हुए महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी दी गई।

आज दिनाँक 31.10.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुम कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा (थाना रैपुरा द्वारा कस्बा रैपुरा में,थाना बहिलपुरवा द्वारा ग्राम करकापडरिया में,थाना मारकुण्डी द्वारा ग्राम गोपीपुर में,थाना सरधुवा द्वारा सरधुवा स्कूल में,थाना मानिकपुर द्वारा रेलवे स्टेशन मानिकपुर पर,थाना कोतवाली कर्वी द्वारा पोस्ट ऑफिस कर्वी में,) स्थानों पर भ्रमण कर मिशन शक्ति फेज-6 के अंतर्गत छात्राओं/बालिकाओं एवं महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान, संरक्षण एवं स्वावलंबन के प्रति जागरूक करते हुए महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का

अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 अभियुक्तों को 41 क्वार्टर अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(i). उ0नि0 श्री रामकुमार दुबे मय हमराह आरक्षी नीतेश सचान थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट द्वारा अभियुक्त रामबहादुर पुत्र कल्लू निवासी ग्राम गिरधारा पुरवा मजरा अगरहुंडा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 16 क्वार्टर अवैध देशी शराब नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध रैपुरा थाना में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(ii). उ0नि0 श्री चन्द्रमौल शर्मा मय हमराह आरक्षी रविप्रकाश यादव थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट द्वारा अभियुक्त रितिक सिंह पुत्र हरीनारायण सिंह निवासी कनियाढ़ थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को एक झोले में 25 क्वार्टर अवैध देशी शराब नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना बरगढ़ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(3).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 10 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

(1).उ0नि0 श्री रामअधार यादव मय हमराह आरक्षी संजीव सोनी थाना मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा क्राईम न0 58/26 एससी एसटी न0 162/26 धारा 110,115(2),118(1),351(3),352 बीएनएस के तीन वारंटी अभियुक्त 1.भोला पुत्र रामदीन 2.दादू उर्फ पप्पूलाल पुत्र बुधई 3.बच्चा उर्फ हरिमोहन पुत्र बधई निवासीगण ग्राम मबईकला थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(2).उ0नि0 श्री ओमप्रकाश सिंह मय हमराह आरक्षी रवि रैकवार थाना मऊ द्वारा मु0अ0स0 118/21 धारा 498ए,323,504,506 आईपीसी व ¾ डीपी एक्ट के वारंटी अभियुक्त गोडान उर्फ रामकिशुन पुत्र मुन्नु निवासी ग्राम पोतनिहा का पुरवा मजरा चकौर थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(3).उ0नि0 श्री शैलेन्द्र कुमार कटियार मय हमराह उ0नि0 रमेश चन्द्र तिवारी एवं आरक्षी लकी सिंह थाना राजापुर द्वारा मु0अ0स0 223/17 धारा 147,148,149,323,427,452,504,506 आईपीसी के 04 वारंटी अभियुक्त 1.सीताराम पुत्र कैलाश 2.माताबदल पुत्र नथुवा 3.नथन पुत्र लुस्सी उर्फ विशाल 4.बवुली पुत्र शिवलोचन निवासीगण कनकोटा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(4).उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार राय मय हमराह आरक्षी सौरभ पटेल थाना बरगढ़ द्वारा मु0सं0 81/2022 धारा 424,352 आईपीसी के वारंटी अभियुक्त रामानुज यादव पुत्र स्व0 ननकू यादव निवासी ग्राम अरवारी बोझ थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(5).उ0नि0 उ0नि0 सुरेश प्रताप सिंह मय हमराह का0 सन्तोष यादव,का0 हरीशरण थाना पहाडी द्वारा मु0सं0 वाद संख्या -6616/024 मु0अ0सं0-54/021 धारा 323,504,506 आईपीसी के वारंटी अभियुक्त अजीत पुत्र शिवप्रकाश उम्र करीब 26 वर्ष, निवासी सिकरिया थाना पहाडी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(4).माननीय उ0प्र0राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के तत्वाधान में सम्पूर्ण उ 0प्र0 के समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा आयोजित मेगा/वृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर के अनुक्रम में श्री सुनील कुमार पंचम, माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चित्रकूट की अध्यक्षता में आज दिनांक 01.11.2026 को राष्ट्रीय रामायण मेला सीतापुर, चित्रकूट में मेगा/वृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर कैम्प का आयोजन दीप प्रज्वलन कर शुभारम्भ किया गया।

शुभारम्भ के समय श्री सुनील कुमार पंचम, जनपद न्यायाधीश, चित्रकूट, श्री राकेश कुमार यादव, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय , श्री राहुल मिश्रा ,प्रथम अपर जिला जज, श्री अरूण कुमार सिंह पुलिस अधीक्षक, श्री अनुराग कुरील अपर जिला जज/नोडल अधिकारी, श्रीमती गीता सिंह विशेष न्यायाधीश एस.सी.एस.टी. एक्ट, श्री अरूण कुमार अपरजिलाधिकारी न्यायिक/नोडल अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी / नोडल अधिकारी तथा श्री राममणि पाठक, अपर जिला जज / एफ.टी.सी.न्यू., श्रीमती रेनू मिश्रा विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट, श्री राजेन्द्र प्रसाद भारती मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,श्री सचिन कुमार दीक्षित, सिविल जज (सी0डि0), श्रीमती इला चौधरी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चित्रकूट, श्रीमती वर्णिका शुक्लाा, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्री अश्वनी कुमार उपाध्याय सिविल जज (सी0डि0)/एफ0टी0सी, श्री अंशुमान यादव अपर सिविल जज सी .डि., सुश्री विदिशा भूषण , सिविल जज (जू०डि०), श्री एस.आनन्द सिविल जज (जू0डि0) मऊ, श्री विरेश कुमार सोनकर न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय मानिकपुर , श्रीमती सृष्टि शुक्ला सिविल जज मजिस्ट्रेट प्रथम, श्री अभिनव कुमार दुबे न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय,अपर पुलिस अक्षीक्षक श्री पीयूषकांत राय,क्षेत्राधिकारी नगर श्री सत्येन्द्र सिंह एवं अन्य शासकीय विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

मेगा कैम्प में लगभग 5500 की संख्या में जनसामान्य एकत्रित था जिनको विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा चलायी जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ/ प्रमाण पत्र/उपकरण वितरित करते हुये लाभान्वित किया गया। मेगा/वृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर से पहले सभी विभागों द्वारा कुल 503 प्री - कैम्प आयोजित किये गये। मेगा कैम्प के दौरान बेसिक शिक्षा विभाग की ओर दिव्यांग बच्चों को उपरकरण, आर.टी.ई. रजिस्ट्रेशन, कैशलेश चिकित्सा से आच्छादित आदि से 54 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया, शहरीय एवं ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत 34 लाभार्थियों को स्वीकृत पत्र वितरित किया गया, नेडा विभाग द्वारा 07 लाभार्थियों को सोलर पैनल का स्वीकृति करते हुये लाभ प्रदान किया गया, पशुपालन विभाग द्वारा 11 लोगों को विभिन्न योजनाओं से सम्बन्धित प्रमाण पत्र वितरित किया गया, कृषि विभाग द्वारा 11 लोगों को उपकरण व बीज वितरित किये गये, दिव्यांग कल्याण विभाग द्वारा 23 लोगों को ट्राईसाईकिल मय हेलमेट वितिरत किया गया , पिछडा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा 07 लोगों को शादी अनुदान प्रमाण पत्र वितरित किया गया व 06 लोगों सामूहित विवाह योजना के अन्तर्गत तथा 07 लोगों वृद्धापेंशन योजना का लाभ प्रदान किया गया , उद्योग विभाग द्वारा 06 लाभार्थियों को उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र वितरित किये गये, महिला कल्याण विभाग द्वारा 05 लोगों को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना एवं मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत लाभान्वित किया गया, राजकीय दुग्ध विभाग द्वारा मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना के अन्तर्गत 09 लोगों को लाभान्वित किया गया, राजस्व विभाग द्वारा 12 लोगों को वरासत की खतौनी वितरित किया गया, पंचायतराज विभाग द्वारा 10 लोगों को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय हेतु धनराशि प्रदान कर लाभान्वित किया गया। रेशम विभाग द्वारा सेशम कीट पालन 09 लोगों को रेशम कीटपालन से सम्बन्धित प्रशिक्षण देकर प्रमाण पत्र वितरित किया गया, खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा 07 लोगों को प्रमाण पत्र वितरित कर लाभान्वित किया गया, जल मिशन (हर घर जल योजना) के अन्तर्गत

25 लोगों के घरों में जल संयोजन कराते हुये प्रमाण पत्र वितरित किया गया, बैंक विभाग द्वारा 16 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, मुख्य मंत्री युवा योजना, प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत लाभान्वित करते हुये चेक वितरित किया गया।, पुलिस विभाग द्वारा विभिन्न व्यक्तियों के खोये हुये मोबाईल फोन सर्विलांस एवं अन्य तकनीकी माध्यमों बरामद कर 08 वास्तविक स्वामियों को सुपुर्द किया गया इसके अतिरिक्त सडक दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि एवं गम्भीर चोटों की रोकथाम हेतु 08 हेलमेट वितरित किये गये , इस प्रकार प्री-मेगा कैम्प एवं मेगा कैम्प में कुल 46564 लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया ।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित मेगा/वृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा आमजनमानस की सुरक्षा, जागरूकता एवं जनहित में संचालित विभिन्न अभियानों की जानकारी प्रदान करने हेतु साइबर जागरूकता, मिशन शक्ति, फायर सर्विस एवं यातायात पुलिस के स्टॉल लगाए गए।

उक्त स्टॉलों के माध्यम से साइबर/मीडिया सेल प्रभारी श्री विजय कुमार सिंह के नेतृत्व में आमजनमानस को साइबर अपराधों से बचाव एवं साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। मिशन शक्ति प्रभारी मय टीम द्वारा मिशन शक्ति स्टॉल के माध्यम से महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण तथा उनके अधिकारों के संबंध में जानकारी दी गई। फायर प्रभारी एवं टीम द्वार फायर सर्विस स्टॉल के माध्यम से अग्नि सुरक्षा एवं आग से बचाव के उपायों तथा यातायात प्रभारी मय टीम द्वारा यातायात पुलिस स्टॉल के माध्यम से यातायात नियमों के पालन एवं सड़क सुरक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान कर जागरूक किया गया। साथ ही विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों एवं पुलिस विभाग द्वारा संचालित जनकल्याणकारी अभियानों की जानकारी भी दी गई।

इसी क्रम में एसओजी/सर्विलांस टीम द्वारा विभिन्न स्थानों से बरामद किए गए कुल 51 गुमशुदा/खोए हुए मोबाइल फोन, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग ₹7,75,000/- है, उनके वास्तविक धारकों को वितरित किए गए। अपने खोए हुए मोबाइल फोन वापस पाकर मोबाइल धारकों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली तथा उन्होंने चित्रकूट पुलिस का आभार व्यक्त किया।

वहीं यातायात पुलिस द्वारा आमजनमानस को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए हेलमेट की उपयोगिता एवं दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने की अनिवार्यता के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही सुरक्षित वाहन संचालन के प्रति प्रेरित करते हुए कुल 50 हेलमेट वितरित किए गए।

चित्रकूट पुलिस द्वारा आमजनमानस की सुरक्षा, सुविधा एवं जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विभिन्न जागरूकता अभियानों के माध्यम से लोगों को साइबर अपराधों से बचाव, महिला सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति निरंतर जागरूक किया जा रहा है।